रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 1977/वैशाख 9, 1899
No. 135] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 1977/VAISAKHA 9, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 29th April 1977

G S R 197 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the Item Number of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) as is specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (4) thereof subject to the conditions specified in column (5) of the said Table

Provided that—

(a) in respect of the said goods, the procedure set out in Chapter X of the said Rules is followed, and

(b) the Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the said goods have been used or, as the case may be, supplied or returned as provided in column (5) of the said Table—

THE TABLE

Sl. No.	Item No. of the First Schedule of the Central Excises & Salt Act, 1944	Discription	Duty	Conditions
1	2	3	4	5
1.	6	Raw Naphtha	Rs. 4·15 per kilolitre at 15 degrees of Centrigrade thermometer.	(*i*) If such raw naphtha is intended to be used within the Heavy Water Plants at Baroda or Tuticorin for the manufacture of synthesis gas or ammonia or both which are to be utilised in the manufacture of Heavy Water in such Plants, (*ii*) if such raw naphtha is intended to be used by M/s. Gujarat State Fertilizer Corporation, Baroda or M/s. Southern Petrochemicals Industrial Corporation, Tuticorin, for manufacture of synthesis gas or ammonia or both and if the synthesis gas or ammonia or both so manufactured is supplied respectively to the Heavy Water Plants at Baroda or Tuticorin for the manufacture of Heavy Water in such Plants.
2.	10	Furnace Oil	Rs. 40 per kilolitre at 15 degrees of Centigrade thermometer	If such furnace oil is intended to be used by M/s Southern Petrochemicals Industrial Corporation, Tuticorin in the manufacture of synthesis gas or ammonia or steam or all or any of them and the synthesis gas or ammonia or steam or all or any of them so manufactured is supplied to Heavy Water Plant at Tuticorin for manufacture of Heavy Water.

1	2	3	4	5
3.	14 H	Ammonia	Nil	If such ammonia is supplied by M/s. Gujarat State Fertilizer Corporation,Baroda or M/s Southern Petro-Chemicals Industrial Corporation, Tuticorin to the Heavy Water Plant at Baroda or Tuticorin, as the case may be for the manufacture of Heavy Water and returned by such Heavy Water Plant to M/s. Gujarat State Fertilizer Corporation, Baroda or M/s Southern Petrochemicals Industrial Corporation, Tuticorin and the ammonia so returned is used by M/s. Gujarat State Fertilizer Corporation, Baroda or M/s Southern Petrochemicals Industrial Corporation, Tuticorin in their factory in the manufacture of fertilizers.
4	68	(i) Steam	Nil	If such steam is supplied by M/s. Southern Petrochemicals Industrial Corporation, Tuticorin to Heavy Water Plant, Tuticorin.
		(ii) Synthesis Gas	Nil	If such synthesis gas is supplied by M/s Gujarat State Fertilizer Corporation, Baroda or M/s. Southern Petrochemicals Industrial Corporation, Tuticorin to Heavy Water Plant, Baroda or Tuticorin, as the case may be for the manufacture of Heavy Water and returned by such Heavy Water Plant to M/s. Gujarat State Fertilizer Corporation, Baroda or M/s Southern Petrochemicals Industrial Corporation, Tuticorin and the synthesis gas so returned is used in the manufacture of fertilizers by M/s. Gujarat State Fertilizer Corporation, Baroda or M/s. Southern Petrochemicals Industrial Corporation, Tuticorin in their factory.

[No. 72/77]

N. RAJA, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1977

सा० का० नि० 197(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की उस मद संख्या के अधीन आने वाले वर्णन के उत्पाद-शुल्क माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उस पर उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी मात्रा पर जो स्तंभ (4) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है :

परन्तु यह तब जब —

(क) उक्त माल की बाबत उक्त नियमों के अध्याय 10 में अधिकथित प्रक्रिया अपनाई गई हो, और

(ख) सहायक उत्पाद-शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो जाए कि उक्त माल उक्त सारणी के स्तंभ (5) में विहित रीति में उपयोग किए गए हैं या भेजे या वापस किए गए है ।

सारणी

क्र० सं०	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं०	वर्णन	शुल्क	शर्तें
1	2	3	4	5
1	6	कच्चा नाप्था	थर्मामीटर के 15 डि० से टीयेड पर प्रति किलो-लीटर 4.15 रु०	(i) यदि ऐसी कच्चा नेप्था बड़ौदा या नूतीकोरिन स्थित भारी जल परियोजना में कृत्रिम गैस या अमोनिया या दोनों में उपयोग के लिए आशयित है जिनका उपयोग ऐसी परियोजनाओं में भारी जल के विनिर्माण के लिए किया जाना है ।

1	2	3	4	5
				(ii) यदि ऐसा कच्चा नेप्था मेसर्स गुजरात राज्य उर्वरक निगम बडौदा या मेसर्स साउदर्न पेट्रो केमिकल्स औद्योगिक निगम तूतीकोरिन मे कृत्रिम गैस या अमोनिया या दोनो के विनिर्माण मे उपयोग के लिए आशयित है और यदि ऐसी विनिर्मित कृत्रिम गैस या अमोनिया क्रमश भारी जल परियोजना बड़ौदा या तूतीकोरिन को इन परियोजनाओ मे भारी जल के विनिर्माण हेतु भेजी जाती है ।
2	10	भट्टी का तेल	थर्मामीटर के 15 डि० सेन्टीग्रेड पर प्रति किलो लीटर 40 रु०	यदि ऐसी भट्टी का तेल मेसर्स साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स औद्योगिक निगम तूतीकोरिन में कृत्रिम गैस या अमोनिया या वाष्प या सभी या इनमें से किसी के विनिर्माण में प्रयोग के लिए आशयित है और यदि इस प्रकार विनिर्मित कृत्रिम गैस या अमोनिया या वाष्प या ये सभी या इनमें से कोई भारी जल परियोजना तूतीकोरिन में भारी जल में विनिर्माण के लिए भेजे जाते है ।
3	14एच	अमोनिया	शून्य	यदि ऐसे अमोनिया का मेसर्स गुजरात राज्य उर्वरक निगम, बडौदा या मेसर्स साउदर्न पेट्रो-केमिकल्स औद्योगिक निगम तूती-कोरिन द्वारा यथास्थिति बडौदा या तूतीकोरिन स्थित भारी जल परियोजना को भारी जल के विनिर्माण के लिए प्रदाय किया गया है और ऐसे भारी जल परियोजना द्वारा मेसर्स साउदर्न पेट्रो-केमिकल्स औद्योगिक निगम'

1	2	3	4	5
				तूतीकोरिन या मेसर्स गुजरात राज्य उर्वरक निगम, बड़ौदा को वापस कर दिया जाता है और इस प्रकार वापस किया गया अमोनिया मेसर्स गुजरात राज्य उर्वरक निगम, बड़ौदा या मेसर्स साउदर्न पेट्रो-केमिकल्स औद्योगिक निगम, तूतीकोरिन द्वारा अपने कारखाने के भीतर उर्वरक के विनिर्माण में उपयोग कर लिया जाता है ।
4	68	(i) वाष्प	शून्य	यदि ऐसे वाष्प का प्रदाय मेसर्स साउदर्न पेट्रो-केमिकल्स औद्योगिक निगम, तूतीकोरिन द्वारा भारी जल परियोजना तूतीकोरिन को किया जाता है ।
		(ii) कृत्रिम गैस	शून्य	यदि ऐसी कृत्रिम गैस का प्रदाय मेसर्स गुजरात राज्य उर्वरक निगम, बड़ौदा या मेसर्स साउदर्न पेट्रो-केमिकल्स औद्योगिक निगम, तूतीकोरिन द्वारा यथास्थिति, भारी जल परियोजना बड़ौदा या तूतीकोरिन को भारी जल के विनिर्माण के लिए किया जाता है और ऐसी भारी जल परियोजना द्वारा मेसर्स गुजरात राज्य उर्वरक निगम, बड़ौदा या मेसर्स साउदर्न पेट्रो-केमिकल्स औद्योगिक निगम, तूतीकोरिन को वापस कर दी जाती है और इस प्रकार वापस की गई कृत्रिम गैस का उपयोग मेसर्स गुजरात राज्य उर्वरक निगम, या मेसर्स साउदर्न पेट्रो-

1	2	3	4	5
				केमिकल्स औद्योगिक निगम तूती-कोरिन द्वारा अपने कारखाने में उर्वरकों के विनिर्माण में किया जाता है ।

[सं० 72/77]

एन० राजा, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977